संख्या: 12/2016/1905 /पैंतीस-2-2016-3/39(108)/2011

प्रेषक,

जय प्रकाश भारती,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2016**

विषय- **निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 380/ले0-17/2015, दिनांक 05.05.2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या: 2/2016/43/पैतीस-2-2016-3/39(108)/2011, दिनांक 30.03.2016 के संदर्भ में कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा के निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नया वाहन माडल संख्या - बोलेरो एल एक्स टूडब्लूडी बीएस-4 एनएसी प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के उपरान्त उक्त वाहन की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप रू0 15,167/- का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिष्ठान पर व्यय हेतु बजट व्यवस्था के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 5/2016/600/पैतीस-2-2016-3/39(21)/15, दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रदान करते हुए कुल रू0 78.5825 करोड़ (रू0 अठहत्तर करोड़ अटठावन लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के निर्वतन पर रखी जा चुकी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से मानक मद 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में रू0 31.25 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा कायार्लय अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा के निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नया वाहन क्रय किये जाने हेतु वाहन की लागत में हुई वृद्धि के फलस्वरूप रू0 15,167/- का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वाहन माडल संख्या- बोलेरो एल एक्स टूडब्लूडी बीएस-4 एनएसी की लागत रू0 5,89,327/- से बढ़कर रू0 6,04,494/- हो जाने के फलस्वरूप अवशेष बची धनराशि रू0 15,167/- का भुगतान संबंधित फर्म को किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद-14- मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-5-954(1) /दस-2016, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 12/2016/1905/(1)/पैतीस-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश भारती)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।